नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 24)

[2 अप्रैल, 1993]

भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकास करने की दृष्टि से तीन कंपनियों की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणलियों का और भारत के विभिन्न भागों में स्थित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उन कंपनियों के अधिकार, हक और हित का लोकहित में अर्जन और अंतरण करने के लिए तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम-विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलैक्टिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टन इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1993 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम की धारा 8 से धारा 11 तक के और धारा 13 से धारा 16 तक के उपबंध 8 जनवरी, 1993 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और शेष उपबंध 1 अप्रैल, 1992 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 1 अप्रैल, 1992 अभिप्रेत है;

(ख) "सहयुक्त कार्मिक" से तीनों कंपनियों में से प्रत्येक के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो उसकी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से सहबद्ध हों;

(ग) "निगम" से पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हेमकुन्त चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी के संबंध में "विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली" से अभिप्रेत है ऐसी प्रत्येक कंपनी के स्वामित्वाधीन मुख्य पारेषण लाइनें [जिनके अंतर्गत अतिरिक्त उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा (अ०उ०वो०प्र०धा०) लाइन और उच्च वोल्टतादिष्ट धारा (उ०वो०दि०धा०) लाइनें हैं] और उपकेन्द्र;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "तीन कंपनियों" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट कंपनियां अभिप्रेत हैं;

(ज) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु यथास्थिति, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण

3. विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन कंपनियों के अधिकारों का अर्जन—(1) नियत दिन को, तीनों कंपनियों में से प्रत्येक की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और उनके विद्युत शक्ति पारेषण से संबंधित अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो गए समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के आधार पर केन्द्रीय सरकार में निहित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली इस प्रकार निहित होने के ठीक पश्चात् निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई समझी जाएगी ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत ऐसी प्रणाली से संबंधित सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा स्थावर और जंगम सभी संपत्ति है, जिसके अंतर्गत भूमियों, भवन, कर्मशालाएं, परियोजनाएं (चाहे पूर्ण हों या पूर्णता या योजना के किसी प्रक्रम में हों) भंडार, फालतू पुर्जे, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, सन्निर्माण उपस्कर, अनुपयोजित दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार हैं तथा ऐसी संपत्ति में या उससे उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं , जो नियत दिन से ठीक पूर्व तीनों कंपनियों के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे और तत्संबंधी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और सभी अन्य दस्तावेजें हैं चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, किन्तु इसमें—

(क) नियत दिन के ठीक पूर्व तीनों कंपनियों को शोध्य बही ऋण;

(ख) नियत दिन को रोकड़ बाकी और बैंक अतिशेष;

(ग) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में राजस्व लेखा सम्बन्धी कोई आय और व्यय,

सम्मिलित नहीं समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि तीनों कंपनियों में से प्रत्येक की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित अधिकारों के अंतर्गत, जो धारा 3 की उपधारा (2) और इस उपधारा के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं, विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए प्रभारों के संग्रहण का अधिकार भी है और तीनों कंपनियों में से किसी के द्वारा नियत दिन को या उसके पश्चात् पारेषण प्रभारों के रूप में संगृहीत कोई धन (चाहे पृथक्त: दर्शित किया गया है या नहीं) ऐसी कंपनी द्वारा निगम को संदेय होगा ।

(2) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्तत: अन्यथा उपबंधित के सिवाय तीनों कंपनियों में से प्रत्येक की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में सभी विलेख, बंधपत्र, प्रतिभूतियां (भारत सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूति से भिन्न), करार, मुख्यातरनामे, विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान और किसी भी प्रकार की अन्य लिखतें, जो नियत दिन से ठीक पूर्व अस्तित्व में हैं या प्रभावशील हैं और जिनमें तीनों कंपनियों में से प्रत्येक पक्षकार हैं या जो उक्त कंपनियों में से किसी के पक्ष में हैं, निगम के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील होंगी और उसी प्रकार पूर्णतया और प्रभावशील रूप से प्रवर्तित या कार्यान्वित की जा सकेंगी मानो संपृक्त कंपनी के स्थान पर निगम उनमें एक पक्षकार रहा था या मानो वे निगम के पक्ष में जारी की गई थीं ।

(3) यदि 8 जनवरी, 1993 को, ऐसी किसी संपत्ति या आस्ति के संबंध में, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित या उसमें निहित हो गई है, तीनों कंपनियों में से किसी के द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या लाया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लंबित है तो उस कंपनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के अंतरण या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए निगम का दायी होना—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तीनों कंपनियों में से प्रत्येक का अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई हैं, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत प्रत्येक दायित्व निगम का दायित्व होगा और निगम के विरुद्ध, न कि ऐसी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात—

(क) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में राजस्व लेखा मद्दे आय और व्यय को, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् तीनों कंपनियों में से किसी के द्वारा, यथास्थिति, प्राप्त या उपगत किया गया हो;

(ख) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में पूंजी लेखा के समाश्रित दायित्वों के बारे में अवक्षयण बकाया को, जो किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के विनिश्चय के कारण उद्भूत हो,

लागू नहीं होगी ।

(2) जहां तीनों कंपनियों में से किसी के द्वारा किसी उधार देने वाले अभिकरण को नियत दिन को या उसके पश्चात् उधार या ब्याज या दोनों का, कोई प्रतिसंदाय किया गया है वहां ऐसा प्रतिसंदाय निगम द्वारा किया गया समझा जाएगा और ऐसे प्रतिसंदाय की रकम की संबंधित कंपनी से निगम को शोध्य पारेषण प्रभारों या किसी अन्य रकम के समायोजन पर संबंधित कंपनी को निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

6. निगम का पट्टेदार या अभिधारी होना—(1) जहां तीनों कंपनियों में से किसी के द्वारा अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में कोई सम्पत्ति किसी पट्टे या अभिधृति के किसी अधिकार के अधीन धारित है वहां नियत दिन से ही निगम ऐसी संपत्ति के बारे में, यथास्थिति, पट्टेदार या अभिधारी हो गया समझा जाएगा मानो ऐसी संपत्ति के संबंध में वह पट्टा या अभिधृति निगम को दी गई हो और तदुपरि ऐसे पट्टे या अभिधृति के अधीन सभी अधिकार निगम को अंतरित और उसमें निहित हुए समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पट्टे या अभिधृति की अवधि की समाप्ति पर, यदि निगम ऐसा चाहे तो ऐसा पट्टा या अभिधृति उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर वह पट्टा या अभिधृति नियत दिन के ठीक पूर्व तीनों कंपनियों में से किसी के द्वारा धारित थी, नवीकृत की जाएगी ।

7. शंकाओं का निराकरण—(1) शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक कोई संपत्ति तीनों कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली उनकी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित कारबार से संबद्ध है और तीनों कंपनियों में से किसी के द्वारा अर्जित अधिकारों और शक्तियों और उपगत ऋणों, दायित्वों और बाध्यताओं तथा की गई संविदाओं, करारों और अन्य लिखतों तथा भारत में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में लंबित उन मामलों के बारे में विधिक कार्यवाहियों से संबंधित है ।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि कोई संपत्ति नियत दिन को तीनों कंपनियों में से किसी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किसी कारबार से संबद्ध थी या नहीं अथवा उक्त कारबार के प्रयोजन के लिए तीनों कंपनियों में से किसी के द्वारा कोई अधिकार, शक्ति, ऋण, दायित्व या बाध्यताएं अर्जित अथवा उपगत की गई थीं या नहीं अथवा कोई संविदा, करार या अन्य लिखत की गई थी या नहीं अथवा कोई दस्तावेज उन प्रयोजनों से संबंधित हैं या नहीं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा, जो उस मामले में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे ऐसी रीति से विनिश्चित करेगी, जैसी वह ठीक समझे ।

8. रकम का संदाय—(1) विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और तीनों कंम्पनियों में से प्रत्येक के अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में अधिकार, हक और हित के धारा 3 और धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तीनों कंपनियों में से प्रत्येक को उतनी रकम का विहित रीति से संदाय किया जाएगा, जो दायित्वों की (समाश्रित दायित्वों से भिन्न) कटौती करने के पश्चात् 31 मार्च, 1992 को तीनों कंपनियों में से प्रत्येक के संपरीक्षित लेखा विवरण में दिए गए सभी आस्तियों और संपत्तियों के बही मूल्य के बराबर हो ।

(2) विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और तीनों कंपनियों में से प्रत्येक के अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में अधिकार, हक और हित के धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अन्तरित या उसमें निहित किए जाने के लिए निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार को उतनी रकम का विहित रीति से संदाय किया जाएगा, जो उपधारा (1) के अधीन उस सरकार द्वारा तीनों कंपनियों को संदत्त की गई है ।

(3) किसी आस्ति, संपत्ति या दायित्व की प्रकृति अथवा उपधारा (1) के अधीन संदेय रकम से संबंधित किसी विवाद की दशा में वह विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे वह नियुक्त करे और उस प्राधिकारी का विनिश्चय उस विषय में अन्तिम होगा ।

अध्याय 3

आस्तियों, आदि का निगम को परिदान

9. व्यक्तियों का अपने कब्जे में की आस्तियों, आदि का लेखा-जोखा देने का कर्तव्य—(1) कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में या नियंत्रणाधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को ऐसी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अन्तरित और उसमें निहित हो गई है, कोई आस्तियां, बहियां और कोई अन्य दस्तावेज हैं, उक्त आस्तियों, बहियों और दस्तावेजों का निगम को लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और उन्हें निगम को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसे या जिन्हें निगम इस निर्मित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदान करेगा ।

(2) निगम, विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का, जो इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित और उसमें निहित हो गई है, कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा या करवाएगा ।

(3) तीनों कम्पनियों में से प्रत्येक, ऐसी अवधि के भीतर, जो निगम इस निमित्त अनुज्ञात करे, निगम को अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित अपनी उन सभी सम्पत्तियों और आस्तियों की जो नियत दिन को हों और जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अन्तरित और उसमें निहित हो गई हों, सम्पूर्ण सूची देगी ।

अध्याय 4

सहयुक्त कार्मिकों के बारे में उपबंध

10. सहयुक्त कार्मिकों का बने रहना—(1) निगम में तीनों कम्पनियों की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के निहित होने पर ऐसे सहयुक्त कर्मचारी, जो नियत दिन को या उसके पूर्व तीनों कम्पनियों में से किसी में नियोजित रहे हैं और पहले से ही निगम के कर्मचारी नहीं बन गए हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही निगम के कर्मचारी बन जाएंगे और निगम के अधीन पद या सेवा उन निबंधनों और शर्तों पर धारण करेंगे जो किसी भी रूप में उनसे कम अनुकूल न हो, जो उन्हें उस दशा में अनुज्ञेय होते जब ऐसा निधान न हुआ होता और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक उस निगम के अधीन उनका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उनके पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों में निगम द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निगम को सहयुक्त कर्मचारियों की सेवाओं का अन्तरण ऐसे कार्मिक को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

11. भविष्य निधि और अन्य निधियां—(1) जहां तीनों कम्पनियों में से किसी ने अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की है, वहां ऐसे सहयुक्त कार्मिकों से, जो पहले ही निगम के कर्मचारी बन गए हैं या जिनकी सेवाएं इस अधिनियम के अधीन निगम को अन्तरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां सहयुक्त कार्मिकों के अन्तरण की तारीख को ऐसी भविष्य निधि या अन्य निधि के खाते में जमा धन में से निगम को अन्तरित या उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) ऐसी धनराशियों के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन निगम को अन्तरित हो जाती हैं, उस निगम द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

12. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

13. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति,—

(क) तीनों कंपनियों में से किसी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली की भागरूप किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, निगम से सदोष विधारित करेगा, या

(ख) तीनों कंपनियों में से किसी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली की भागरूप किसी सपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे प्रतिधारित करेगा, या

(ग) तीनों कंपनियों में से किसी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किसी दस्तावेज या तालिका को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियत्रंण में है निगम या निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा, या

(घ) तीनों कंपनियों में से किसी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखाबहियों, रजिस्टरों, या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियत्रंण में हैं, निगम या उस निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्ति के निकाय को देने में असफल रहेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

14. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसा अपराध किए जाने के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।

15. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए सरंक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, निगम या तीनों कंपनियों में से किसी के या उस सरकार, निगम या कंपनी के किसी अधिकारी के या उस सरकार, निगम या कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

16. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिससे धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रकम का संदाय किया जाएगा;

(ख) वह रीति जिससे धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के धन की बाबत कार्रवाई की जाएगी;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में हो प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह निगम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

17. निरसन और व्यावृत्ति—(1) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलैक्टिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रानिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्यांक 10) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

[धारा 2(ड) और (छ) देखिए]

कंपनियों के नाम

1. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कोर सं० 7; स्कोप काम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 में स्थित है ।

2. नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हेमकुन्त टावर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में स्थित है ।

3. नार्थ-इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित और रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खारमल्की रोड, शिलांग—793001 में स्थित है ।

———